चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/ 7660
दिनांक : 25-09-2020

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ** को **एम0बी0बी0एस0** पाठ्यक्रम (150 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2020 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार द्वारा वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 31.08.2020 के आलोक में **मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ** को **एम0बी0बी0एस0** पाठ्यक्रम (150 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में **दिनांक 01.07.2020 से आगामी एक वर्ष हेतु औपबन्धिक रूप से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा आगामी सत्र 2021–22 में विद्यार्थियों को सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित करने से पूर्व अपने महाविद्यालयों/संस्थानों को निरीक्षण अवश्य करा ले। निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों के उपरान्त ही सत्र 2021–22 की सम्बद्धता विस्तारण पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ को सूचनाथ।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।

24-09-2020

कुलसचिव

SAM 2 (180)